

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1058

जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025/3 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

**उर्वरक आत्मनिर्भरता और विनिर्माण आधुनिकीकरण**

**1058. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने आयातित यूरिया और डीएपी पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए कोई रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (ख) क्या पीएम-प्रणाम या संबंधित योजनाओं के तहत हरित और जैव-उर्वरक विकल्पों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाया जा रहा है;
- (ग) क्या उर्वरक निर्माण इकाइयों के आधुनिकीकरण या क्षमता विस्तार के लिए कोई सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उच्च उत्पादन लागत की चुनौतियों का सामना कर रहे किसानों और कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए उर्वरक सब्सिडी को उत्पादन लागत से जोड़ने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री**  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गडेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा दक्ष हैं क्योंकि ये नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता

(पुनर्जागरण क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

उपर्युक्त सभी उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान 314.07 एलएमटी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 306.67 एलएमटी यूरिया का उत्पादन हुआ है।

सरकार ने फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकता के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उत्तर-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, आयातित फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- (i) अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है।
- (ii) उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है। जोड़े गए 06 नए ग्रेड एनपीके 08-21-21, एनपीके 09-24-24, शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) (0-0-14.5-0), मैग्नीशियम, जिंक, बोराँन और सल्फर से संपुष्ट एनपीके 11-30-14, यूरिया-एसएसपी कॉम्प्लेक्स 5-15-0-10 और मैग्नीशियम, जिंक और बोराँन से संपुष्ट एसएसपी 0-16-0-11 हैं।
- (iii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर मालभाड़ा सब्सिडी, मृदा को फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

(ख): "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने आदि द्वारा धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू

किए गए प्रयासों का सहयोग करना है। उक्त स्कीम के तहत, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

इसके अलावा, बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के तहत गोबर्धन पहल के अंतर्गत संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) संयंत्रों में उत्पादित मृदा कार्बन संवर्द्धक अर्थात् एफओएम/एलएफओएम और जैविक उर्वरक अर्थात् पीआरओएम को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपए/एमटी की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग का समाधान होने की अपेक्षा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आएगी।

(ग): सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयों स्थापित की गई हैं, जिनमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है। ये नए यूरिया संयंत्र नवीनतम/आधुनिक तकनीक से स्थापित किए गए हैं, जो लगभग 5.0 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने और स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के उद्देश्य से, नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 को 1 जून 2015 को लागू किया गया था। इस नीति के तहत, यूरिया इकाइयों को लक्ष्य ऊर्जा मानदंड (टीईएन) दिए गए थे। यूरिया इकाइयों से टीईएन प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी, जिसके लिए इकाइयों ने संयंत्रों में नवीनतम तकनीकी उन्नयन को अपनाया है। एनयूपी-15 मानदंडों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 6.04 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन थी, वर्ष 2024-25 के दौरान घटकर लगभग 5.56 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन हो गई है।

(घ): यूरिया सब्सिडी स्कीम के तहत, वर्तमान में किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। यूरिया की 45 किग्रा बोरी की एमआरपी 242 रुपए (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, देश के सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है और इस प्रकार वे इस स्कीम के लाभार्थी हैं।

इसके अलावा, एनबीएस नीति के तहत, सरकार उर्वरकों में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) की घोषणा करती है। सब्सिडी की गणना अंतर्राष्ट्रीय कीमतों, विनिमय दर, इन्वेंट्री स्तर और पीएंडके उर्वरकों के प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्यों सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती है और यह उत्पादन लागत से स्वतंत्र होती है।